



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052025-263271
CG-DL-E-21052025-263271

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2229]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 21, 2025/वैशाख 31, 1947

No. 2229]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 21, 2025/VAISAKHA 31, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 मई, 2025

का.आ. 2283(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्यिक वितरण और वेंडिंग के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे कार्यों के जो अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा जिन्हें किए जाने से छोड़ दिया गया, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इस आदेश को वाणिज्यिक वितरण और वेंडिंग के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग – तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप होंगी तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित किया गया है, तालिका के क्रमशः कॉलम (5) और (6) की संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी प्रति वर्ष वाणिज्यिक वितरण और वेंडिंग के लिए विद्युत उपकरणों के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ आयातित पचास वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगा और ऐसी आयातित वस्तुओं और सामानों की वाणिज्यिक बिक्री नहीं की जाएगी तथा उन्हें स्कैप के रूप में निपटाया जा सकता है तथा विनिर्माता ऐसी वस्तुओं या सामानों का वर्षवार रिकार्ड रखेंगे और यदि सरकारी प्राधिकरणों द्वारा उसकी मांग की जाएगी तो उसे प्रस्तुत करेंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – ब्यूरो नीचे तालिका (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी– इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्यतः कार्यान्वयन की तिथि (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर)	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वाणिज्यिक वितरण और वेंडिंग के लिए विद्युत उपकरण	302(भाग 2/ धारा 75): 2018	घरेलू और इसी प्रकार के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा संबंधी विशेष अपेक्षाएं -वाणिज्यिक वितरण उपकरण और वेंडिंग मशीन	1 अक्टूबर, 2025	1 जनवरी, 2026	1 अप्रैल, 2026

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/7/2024– एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department For Promotion of Industry and Internal Trade)****ORDER**

New Delhi, the 20th May, 2025

S.O. 2283(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Electrical Appliances for Commercial Dispensing and Vending (Quality Control) Order, 2024, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1.Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Electrical Appliances for Commercial Dispensing and Vending (Quality Control) Order, 2025.

(2) It shall come into force on the 1st day of October, 2025.

2. Compulsory use of Standard Mark.— The Goods or articles specified in the column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that small enterprises and micro enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (5) and (6) of the Table respectively:

Provided also that nothing in this Order shall apply for fifty numbers of goods or articles imported for the purpose of research and development by the manufacturers of electric appliances for commercial dispensing and vending per year and such imported goods and articles shall not be sold commercially and can be disposed of as a scrap and the manufacturers shall maintain a year-wise record of such goods or articles and furnish the same, if so desired by Government authorities.

3. Certification and enforcement authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (1) of the Table below.

4. Penalty for contravention.- Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in general (other than micro and small enterprises)	Date of implementation for small enterprises	Date of implementation for micro enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Electrical appliances for commercial dispensing and vending	302 (Part 2/Sec 75): 2018	Safety of household and similar electrical appliances particular requirements – commercial dispensing appliances and vending machine	1 st October, 2025	1 st January, 2026	1 st April, 2026

Note:- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply from the date of such notification.

[F. No. P-29026/7/2024-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.